

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सौ. कार. प्रसाद मरती वगैरे नाम... तरफा कुसाद मरती को.

क्र०/तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की गई कार्रवाई

अभिलेख सं०-एम. 76 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी
सोनागढु के अप्राथमिकी सं०-18/18 दिनांक-02-06-18 प्रस्तुत
पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि भूमि विवाद
को लेकर उभय पक्ष में मन मुटाव है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति
क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे
जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त
पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं०
की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय
पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष
तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक
हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि
दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 09-07-18 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,

बुण्डू।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,

बुण्डू।

9-07-18

अभिलेखा उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थापित
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 30-07-
18 को 22वें।

25-01-19

आमिनेरा उपस्थापित । उमथ पन
अधिवक्ता हाजरी । प्रथम पन गवाह अनुपस्थित
प्रथम पन गवाही हेतु आगली रतिय की
मांग की गठी दिनांक 11-02-19 को
रखी


25/1/19

11-02-19

आमिनेरा उपस्थापित । प्रथम पन
क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित
द्वितीय पन अधिवक्ता हाजरी । उक्त
वाद में (6) माह की अवधि पूरी
हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है
अतः वाद में आमिनेरा की कारवाही
बन्द की जाती है


11/02/19